राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांकः एफ17(2)/12भामाशाह/डीईएस/2015/ दिनांक 28.07.2015

समस्त जिला कलेक्टर्स
राजस्थान।

विषयः–ब्लॉक स्तर पर भामाशाह कार्ड वितरण के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

भामाशाह कार्ड वितरण की सुव्यवस्था स्थापित करने को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में कार्डों को राज्य स्तर पर मंगवाकर तथा उनकी विस्तृत जाँच करने के पश्चात ब्लॉक/नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायत/शहरी वार्ड स्तर के सरकारी कर्मचारियों के द्वारा निवासियों को वितरित किए जा रहे हैं।

उक्त वितरण की व्यवस्था में लगने वाले समय को देखते हुए अब भामाशाह कार्डो को सीधे ही पंचायत समिति/नगर निकाय स्तर पर भिजवाने की व्यवस्था प्रारम्भ की जा रही है, जिसकी विधि निम्नानुसार होगी–

1. कार्ड को प्राप्त करने की प्रणाली की स्थापना हेतु पंचायत समिति/नगर निकाय स्तर पर भामाशाह कार्ड वितरण प्रभारी अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति।
2. वैन्डर/कोरियर के कर्मचारी से भामाशाह कार्ड के बॉक्स को प्राप्त कर डिलीवरी चालान/इनवॉइस (दो प्रतियों में) पर हस्ताक्षर कर मूल प्रति वैन्डर/कोरियर को दी जानी है तथा दूसरी प्रति स्वयं के रिकार्ड में संधारित की जानी है।
3. कार्डो को गिनने में लगने वाले समय को देखते हुए, डिलीवरी चालान/इनवॉइस में कार्डो की संख्या के स्थान पर बॉक्स की संख्या को अंकित किया जाना है।
4. भामाशाह कार्ड प्राप्ति की सूचना निम्न सारणी में संधारित किया जाना है–

क्र.सं.	दिनांक	कार्ड प्रिन्टिंग एजेन्सी का नाम	प्राप्त बॉक्स की संख्या	प्राप्त कार्डो की संख्या

5. बॉक्स में से कुछ पैकेट खोलकर बार कोड रीडर की सहायता से जाँच करें कि उनमें सही भामाशाह संख्या अंकित की गई है तथा सैम्पल चैक में भामाशाह संख्या सही पाये जाने पर समस्त भामाशाह कार्डो को ग्राम पंचायत/शहरी वार्डवार पृथक–पृथक कर लें।

6. कार्डो का पृथकीकरण प्रक्रिया के दौरान कार्ड पर अंकित फोटो व मुद्रित सूचना की अपने स्तर जाँच की जानी है। त्रुटिपूर्ण कार्डो को अलग रखते हुए उनका बार कोड रीडर से एक्सॅल में सूचना तैयार करें तथा निम्न सारणी में पायी गई त्रुटियों का संक्षिप्त विवरण (सॉफ्टकॉपी में) परियोजना अधिकारी (भामाशाह) को पूर्व की भाँति त्रुटिपूर्ण कार्ड सहित प्रेषित करें:

क्र.सं.	भामाशाह कार्ड संख्या (बार-कोड रीडर द्वारा डिटेक्टैड)	परिवार के मुखिया का नाम	त्रुटि का विवरण

7. पूर्व की भाँति भामाशाह पोर्टल पर कार्डो को "रिसीव" करें।
8. पृथक किए गए सही कार्डो को ग्राम पंचायत/शहरी वार्डवार ग्राम सेवक/वार्ड स्तरीय कर्मचारी या हल्का पटवारी को सुपुर्द कर, उनका रिकॉर्ड भी पूर्व की भाँति रजिस्टर में संधारित करें।
9. जिले की प्रत्येक पंचायत समिति/नगर निकाय के समस्त ग्राम पंचायत/शहरी वार्ड में कार्ड वितरण की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए भामाशाह कार्ड न्यूनतम समय में वितरित करवाना सुनिश्चित करें।
10. भामाशाह कार्डो व डीएमएस (दस्तावेज) के प्रबंधन हेतु बार कोड रीडर भामाशाह प्रकोष्ठ (राज्य स्तरीय) से शीघ्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

अतः पंचायत समिति/स्थानीय निकाय स्तर पर "भामाशाह कार्ड वितरण अधिकारी/कर्मचारी" नियुक्त कर शीघ्रातिशीघ्र उक्तानुसार वितरण प्रक्रिया चालू करवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/ दिनांकः28.07.2015

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. उपनिदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी जिला......................
2. उपनिदेशक/सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जिला...........
3. समस्त उपखण्ड अधिकारी।
4. समस्त विकास अधिकारी/तहसीलदार।

(ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग